

प्रसार भारती
(भारत का लोक सेवा प्रसारक)
प्रादेशिक समाचार एकांश
आकाशवाणी, पटना

प्रसारण:- अपराह्न 03:10 बजे से।

अवधि:- 05 मिनट

लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राज्य में भी हलचल बढ़ गई है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश की चालीस सीटों पर सात चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई संसदीय सीट के लिए उन्नीस अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण में छब्बीस अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णियां, भागलपुर और बांका संसदीय क्षेत्र में चुनाव कराया जाएगा। तीसरे चरण में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया संसदीय क्षेत्र में सात मई को मतदान होगा। चौथे चरण में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर सीटों के लिए तेरह मई को मतदान होगा। पांचवें चरण में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर संसदीय सीटों के लिए बीस मई को वोट डाले जायेंगे। छठे चरण में वाल्मिकीनगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान और महाराजगंज में पच्चीस मई को मतदान होगा, जबकि सातवें और अंतिम चरण में एक जून को नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद में मतदान कराया जाएगा।

इधर, राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच. आर श्रीनिवास ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त दलों के साथ बैठक की। विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने सुझाव दिए। राष्ट्रीय जनता दल ने मतगणना के दौरान डाक मतपत्रों की गिनती पहले कराने का अनुरोध किया है।

पहले चरण के लिए अधिसूचना बीस मार्च को जारी होगी। नामांकन भरने की आखिरी तारीख अट्ठाईस मार्च होगी। दो अप्रैल तक नाम वापस लिये जा सकते हैं, जबकि मतदान उन्नीस अप्रैल को होगा।

दूसरे चरण के लिए अधिसूचना अट्ठाईस मार्च को जारी होगी। नामांकन भरने की आखिरी तारीख चार अप्रैल होगी। आठ अप्रैल तक नाम वापस लिये जा सकते हैं, जबकि मतदान छब्बीस अप्रैल को होगा।

तीसरे चरण के लिए अधिसूचना बारह अप्रैल को जारी होगी। नामांकन भरने की आखिरी तारीख उन्नीस अप्रैल होगी। बाईस अप्रैल तक नाम वापस लिये जा सकते हैं, जबकि मतदान सात मई को होगा।

चौथे चरण के लिए अधिसूचना अठारह अप्रैल को जारी होगी। नामांकन भरने की आखिरी तारीख पच्चीस अप्रैल होगी। उनतीस अप्रैल तक नाम वापस लिये जा सकते हैं, जबकि मतदान तेरह मई को होगा।

पांचवे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना छब्बीस अप्रैल को जारी होगी। नामांकन भरने की आखिरी तारीख तीन मई होगी। छह मई तक नाम वापस लिये जा सकते हैं, जबकि मतदान बीस मई को होगा।

छठे चरण के लिए अधिसूचना उनतीस अप्रैल को जारी होगी। नामांकन भरने की आखिरी तारीख छह मई होगी। नौ मई तक नाम वापस लिये जा सकते हैं, जबकि मतदान पच्चीस मई को होगा।

सातवें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना सात मई को जारी होगी। नामांकन भरने की आखिरी तारीख चौदह मई होगी। सत्रह मई तक नाम वापस लिये जा सकते हैं, जबकि मतदान एक जून को होगा।

निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वॉल पेन्टिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्री को चौबीस घंटे के भीतर हटा लिया जाए। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों और निजी सम्पत्ति पर प्रदर्शित राजनीतिक विज्ञापनों वाले सभी अनधिकृत पोस्टर, होर्डिंग और बैनर को बहत्तर घंटे के भीतर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार की ओर से चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियां बताने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी इस तरह के विज्ञापनों पर रोक के लिए त्वरित कार्रवाई

करेंगे। मतदाता जागरूकता के लिए रेडियो, टीवी, सिनेमा और सरकारी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकेंगे।

इधर, राज्य में सभी जिला प्रशासन आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में जुट गये हैं। आचार संहिता के अनुपालन के लिए धारा एक सौ चौवालीस और एक सौ चौवालीस- ए लागू कर दी गई है। जिले से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गये बैनर, होर्डिंग और पोस्टर को हटाने का कार्य किया जा रहा है।

कैमूर जिले का तैंतीसवां स्थापना दिवस आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी सावन कुमार के नेतृत्व में शहर में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इधर, बक्सर जिला भी आज अपना चौतीसवां स्थापना दिवस मना रहा है।

बांका जिले के बाराहाट बाजार में बाईक सवार तीन अपराधियों ने हथियार के बल पर एक स्वर्ण व्यवसायी से आभूषण और नकद लूट लिए। पुलिस मामलें की जाँच कर रही है।

इसके साथ ही आकाशवाणी, पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। एक छोटे अंतराल के बाद आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।